07.8.24 पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रकरण
में किगत तारीख पेशी पर बहस
सुनी गई थी। वादीगण ने वाद अन्तर्गत
धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी
अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया
है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं० 1
एवं प्रति सं० 2 लगा० 5 के पिता/पति
के साथ आराजी का तबादला किया
गया था। राजस्व विभाग ने वादीगण की
आराजी का नामा प्रतिवादीगण सं. 1 व
व 2 लगा. 5 के पिता/पति के पक्ष में
नामा. सं. 1529 से दर्ज कर दिया
परन्तु तबादले से उनके पक्ष में नहीं
किया.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सरवण बनाम भगवान सिंह प्रकार नामा० संबंधी की गई। इस प्रकार नामा० संबंधी कार्यवाही अधूरी की गई अत: तबादले के अनुसार वादीगण के पक्ष में आली झायल का नामा०/ खातेदारी घोषित की जावे तथा हाल खा.ख.नं. 848 रकबा 0.33 है० में वादीया स. 1 का 1/11 हिस्सा व वादीया स. 2 का 1/11 हिस्सा व वादी स. 3 का 9/22 हिस्सा व वादी स. 4 को 9/22 हिस्से का काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी स. 1 भगवान सिंह व प्रतिवादी स. 2 ल. 5 व उनके पिता/पति लीलाराम का नाम हजफ किया जाने का आदेश फरमाये जावे। प्रतिवादीगण स० 1 लगा. 5 ने इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद में चाही गई रीलीफ के अनुसार डिक्री फरमा दिया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं होगा। पत्रावलि में बहस वादी सुनी गई जिसमें वादी अधिवक्ता ने वाद के कथनों का दोहराव किया। पत्रावलि का अवलोकन किया गया इससे यह जाहिर होता है वादीगण तबादला के दौरान द्वितीय पक्षकार से तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 लगा. 5 के पिता/पति प्रथम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पक्षकार के रूप में थे तथा इनके द्वारा अपनी आराजी का तबादला पंजीबद्ध दस्तावेज के माध्यम से किया गया था। द्वितीय प्रथम पक्षकार (तबादले के) जो कि इमु वाद में प्रतिवादी है के पक्ष में तबादले की आराजी का नामा० सं० 1529 दर्ज व स्वीकृत हो गया था परन्तु द्वितीय पक्षकार जो इस वाद में वादी हैं के पक्ष में नामा० की कार्यवाही नहीं हुई, जो कि नियमानुसार की जानी थी। तबादले में अंकित आराजी ख०न० के नये आराजी खसरा नम्बरान कायम हो चुके है जिनके अनुसार ही वाद संस्थित किया गया है। वादी का वाद उचित व न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से निर्णित किया जाता है **आदेश** हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मौजे ग्राम राजवाड़ा, तहसील गुण्डवाद में दर्ज आराजी ख०न० 848 रकबा 0.33 है० मुताबिक पंजीबद्ध तबादला दास्तवेज वादीया स० 1 का 1/11 हिस्सा, वादीया सं० 2 का हिस्सा 1/11, व वादी स० 3	

क्रमशः

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुक्म में
	को 9/22 हिस्सा, व वादी स०4 को 9/22 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में इसी के अनुसार अंकन किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में हाल में प्रतिवादी स० 1 भगवानसिंह व प्रतिवादी स० 2 लगा. 5 के व उनके पिता/पति लीलाराम का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 07/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावलि नम्बर से कम हो बाद तामील नकलील दाखिल दफ्तर हो। 07/8/24 (सुरेन्द्र प्रसाद) R.A.S. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी	